सत्यमेव जयते

राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
साधिकार प्रकाशित	Published by Authority

वैशाख 22, गुरूवार, शाके 1944-मई 12, 2022

Vaisakha 22, Thursday , Saka 1944- May 12, 2022

भाग 4 (ग)

उप-खण्ड(II)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये कानूनी आदेश तथा अधिसूचनाएं

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, मुख्यालय,जयपुर

कार्यालय-आदेश

जयपुर, मार्च 29, 2022

एस.ओ.21 :-कार्मिक विभाग (क-ग्रुप-2),राजस्थान सरकार द्वारा जारी अधिसूचना सं. एफ.5(51)डीओपी/ए-।।/88 पार्ट जयपुर दिनांक 28.10.2021 एवं निगम संचालक मण्डल के निर्णय संख्या 04/2022 दिनांक 09.03.2022 तथा परिवहन विभाग के पत्रांक प.16(3)परि/2021 जयपुर दिनांक 25.02.2022 के क्रम में अनुकम्पात्मक नियुक्ति विनियम-2010 के बिन्दू संख्या 2(C) में निम्नानुसार प्रतिस्थापन किया जाता है:-

'' ''आश्रित'' से अभिप्रेत है :-

(i) पति या पत्नी

(ii) पुत्र जिसमें मृत सरकारी कर्मचारी द्वारा उसके जीवन काल में वैध रूप से दत्तक ग्रहण किया गया पुत्र सम्मिलित है, या

(iii) अविवाहित/विधवा/विच्छिन विवाह पुत्री जिसमें मृत सरकारी कर्मचारी द्वारा उसके जीवन काल में वैध रूप से दत्तक ग्रहण की गई पुत्री सम्मिलित है, या

(iv) विवाहित पुत्री यदि उपरोक्त खण्ड (ii) और (iii) में उल्लिखित मृत सरकारी कर्मचारी का अन्य कोई आश्रित उपलब्ध न हो, या

(v) अवि वाहित मृत सरकारी कर्मचारी के मामले में माता, पिता, अविवाहित भाई या अविवाहित बहन,

जो मृत सरकारी कर्मचारी पर उसकी मृत्यु के समय पूर्णत: आश्रित थे।''

उक्त प्रतिस्थापन तुरन्त प्रभाव से लागू होंगे।

[संख्या मुख्या./कार्मिक/1-सी/बोर्ड एजेण्डा/22/245]

संदीप वर्मा,

अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक।

Government Central Press, Jaipur.